UPMP040076782026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (VIMLESH SAROJ) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02379**

Criminal Misc. Cases/1033/2026

आपराधिक वाद संख्या 2091/2026

राज्य बनाम दानिश अंसारी

दिनांक 13.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक दानिश अंसारी की ओर से आपराधिक वाद संख्या 2091/2026 अपराध संख्या यू.पी. 321788260412185931 थाना कोतवाली जिला–मैनपुरी के प्रकरण में थाने पर निरूद्ध वाहन संख्या यू.पी.81 वाई. 9552 को अपनी सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना। सम्बन्धित चालानी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रश्नगत वाहन के प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया जा चुका है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित मामले में निरूद्ध प्रश्नगत वाहन किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो उसके वास्तविक स्वामी/आवेदक की पहचान कर उसकी सुपुर्दगी में दे देवें।

विमलेश सरोज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आपराधिक वाद संख्या 2091/2026

राज्य बनाम दानिश अंसारी

दिनांक 13.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक दानिश अंसारी की ओर से आपराधिक वाद संख्या 2091/2026 अपराध संख्या यू.पी. 321788260412185931 थाना कोतवाली जिला–मैनपुरी के प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया है। प्रश्नगत वाहन से सम्बन्धित प्रपत्रों व चालान को प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा अवलोकन किया।

आवेदक दानिश अंसारी को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 207 एम.वी.एक्ट में 4,000/– रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विमलेश सरोज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.